

# महत्वपूर्ण सूचना



## वनस्पति जापान में लाने के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र आवश्यक है



वनस्पति संरक्षण अधिनियम के अनुसार, वनस्पति\* जापान में लाने के लिए, निर्यातक देश की सरकारी एजेंसी द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र (Phytosanitary certificate) संलग्न करके उत्पाद का आयात निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

कुछ वनस्पतियों को जापान में लाने पर प्रतिबंध है (पीछे की ओर देखें)।

\*फलों, सब्जियों और अनाज के अलावा, कटे हुए फूल, बीज, पौधे और वनस्पति-आधारित कच्चे माल से बने कुछ प्रसंस्कृत उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ वनस्पतियों को पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती (हालांकि उनका आयात निरीक्षण आवश्यक होता है), जबकि अन्य कुछ वनस्पतियों को पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र और आयात निरीक्षण दोनों की आवश्यकता नहीं होती (पीछे की ओर देखें)।



जिन वनस्पतियों के साथ पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें वनस्पति संरक्षण अधिनियम के अनुसार अपशिष्ट के रूप में नष्ट कर दिया जाएगा।

पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना वनस्पति आयात करने या आयात के समय निरीक्षण न कराने पर 3 वर्षों तक का कारावास या 3 मिलियन येन तक का जुर्माना (कंपनियों के लिए 50 मिलियन येन तक) हो सकता है।

वनस्पतियों के कीट और रोगों की  
घुसपैठ से सावधान


**MAFF**

Ministry of Agriculture,  
Forestry and Fisheries  
農林水産省

## ⚠️ जापान में आयात पर प्रतिबंध होने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ

- जहाँ भूमध्य सागरीय फल मक्खी और ओरिएंटल फल मक्खी मौजूद हैं उन देशों और क्षेत्रों के अधिकांश फल और सब्जियाँ (खट्टे फल और आम आदि)
- कॉडलिंग मोथ से प्रभावित देशों और क्षेत्रों से सेब, चेरी और छिलके वाले अखरोट आदि

\*इसके अतिरिक्त, अभी तक जापान में नहीं पाए गए, परंतु विश्व भर में गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कीट मौजूद हैं ऐसे देशों और क्षेत्रों से जापान में कई वनस्पतियों का आयात प्रतिबंधित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वनस्पति संरक्षण केंद्र से संपर्क करें।



भूमध्यसागरीय  
फल मक्खी



ओरिएंटल फल  
मक्खी



कॉडलिंग मोथ

❖ ऐसी वनस्पतियाँ जिन्हें पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है  
(⚠️आयात निरीक्षण आवश्यक है)

सूखी या जमी हुई वस्तुएं जैसे कि पिसी हुई लाल मिर्च, सांशो मिर्च, सूखी हुई मूली, ब्रेकन फर्न, औषधीय जिनसेंग, कमल के बीज, स्टार ऐनीज़, हरी कॉफी बीन्स और सुरजमुखी के बीज (मानव उपभोग के लिए), जिनका उपयोग खेती, चारा, उर्वरक या कृषि और वानिकी उत्पादन सामग्री के लिए नहीं किया जाता है।

\*नोट: अनाज (चावल, बाजरा, मक्का, कुट्टू, गेहूं, आदि), फलियाँ (सोयाबीन, अडजुकी बीन्स, मूंगफली, आदि), लकड़ी, कोको बीन्स, तिल, सूखी इमली, धनियाँ, कुछ सूखे फूल, चीनी हर्बल दवाएँ और मसालों इत्यादि सूखी वस्तुओं के लिए भी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वनस्पति संरक्षण केंद्र से संपर्क करें।

❖ पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र संलग्न करने या आयात निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होने वाली वस्तुएं

- प्रसंस्कृत लकड़ी
- प्रसंस्कृत चाय
- अल्कोहल, एसिटिक एसिड, चीनी आदि में संरक्षित वनस्पति

## प्रमुख वनस्पति संरक्षण केंद्रों की संपर्क जानकारी

- योकोहामा वनस्पति संरक्षण केंद्र  
+ 8 1 - 4 5 - 2 1 1 - 7 1 5 3
- नागोया वनस्पति संरक्षण केंद्र  
+ 8 1 - 5 2 - 6 5 1 - 0 1 1 2
- कोबे वनस्पति संरक्षण केंद्र  
+ 8 1 - 7 8 - 3 3 1 - 2 3 8 6

- मोजी वनस्पति संरक्षण केंद्र  
+ 8 1 - 9 3 - 3 2 1 - 2 6 0 1
- नाहा वनस्पति संरक्षण कार्यालय  
+ 8 1 - 9 8 - 8 6 8 - 2 8 5 0